विषय :– **विद्युत के संबंध में जन सामान्य को बेहतर सेवा प्रदान करने एवं कंपनी के विभागों के कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने बाबत् सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी।**

.....

शासन की नीति के अनुसार कंपनी के कार्य कलापों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि संचारण/संधारण एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन करने पर गोपनीय दस्तावेज छोड़कर निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दिये जावें।

2. अभिलेखों की प्रतियां देने/निरीक्षण हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(अ) **<u>प्रति प्राप्ति हेतु</u>**

ए–4 साईज पेपर की प्रति (क ओर)	2/– रू.
ए–3 साईज पेपर की प्रति (क ओर)	4/– रू.

(ब) निरीक्षण हेतु प्रति 15 मिनट 50/– रू.

3. आवेदक संबंधित कार्यपालन यंत्री अथवा उच्च अधिकारियों को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तदनुरूप आवेदक को समुचित मार्गदर्शन देने हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी को मानोनीत किया जायेगा। इस अधिकारी/कर्मचारी का नाम संबंधितों की जानकारी के लिए सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4. यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी चाहे गये अभिलेख की प्रतियां देने में असमर्थ हो तो 15 दिन केअंदर कारण दर्शाते हुए आदेश पारित करें एवं उसकी प्रतिलिपि संबंधित आवेदक को देकर कार्यालय प्रमुख को भी सुचित करें।

उपरोक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा 15 दिन के अंदर विभाग के उच्चाधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पर उच्चाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम माना जावेगाएवं तदनुसार कार्य्रवाही की जाना अनिवार्य होगा।

5. यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना किसी वैध कारण के चाहे गये अभिलेखों की प्रतियां देने से इंकार किया जाता है तो वे दण्ड के भागी होंगे एवं इसका निर्णय संबंधित उच्चाधिकारी द्वारा लिया जावेगा।

विषय :– **विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण की प्रक्रियाएं समय–सीमा एवं संबंधित अधिकारी।**

आवेदन जमा करने की तिथि से निर्धारित समय–सीमा में औपचारिकता पूर्ण कर लेने पर विद्युत कनेक्शन के लिये प्रक्रियाएं।

1. **घरेलू एवं गैर घरेलू (व्यवसायिक) कनेक्शनों के लिये**

(अ) जहां विद्युत लाईन का विस्तार आवश्यक नहीं है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 15 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 3 दिन

(ब) जहां विद्युत लाईनों का विस्तार आवश्यक है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये (विद्युतीकृत ग्रामों में)	–	सामान्यतः 6 माह
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 3 माह

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कनेक्शन न दिये जाने पर संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं वृत्त के अधीक्षण यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

2. औद्योगिक एवं थ्री फेस कनेक्शनों के लिये (औपचारिकताएं पूर्ण करने की तिथि से)

(अ) जहां विद्युत लाईन का विस्तार आवश्यक नहीं है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 15 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 3 दिन

(ब) जहां विद्युत लाईनों का विस्तार आवश्यक है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 6 माह
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये	–	सामान्यतः 3 माह

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कनेक्शन न दिये जाने पर संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं वृत्त के अधीक्षण यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

3. **कृषि (सिंचाई कनेक्शनों के लिय) :–** – सामान्यतः 9 सप्ताह

कृषि सिंचाई कनेक्शनों हेतु राज्य शासन/वित्तीय संस्थान/उपयोगकर्ताओं से शत प्रतिशत राशि प्राप्त होना था, परन्तु लाईन एवं उपकेन्द्रों की शत प्रतिशत लागत प्राप्त नहीं होने के कारण अनेक कृषकों के पंप कार्य लंबित है। कृषकों के पम्पों के कार्य उनके द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण की गई तिथि के क्रमानुसार पूर्ण किये जाते हैं और ऐसे सभी कृषकों के नाम जिनका कार्य वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है, संबंधित अधीक्षण अभियंता (संचालन/संधारण) के द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन

दिये जाते हैं। इन सभी कृषकों के नाम जिनका कार्य वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है, की सूची वितरण केन्द्र में दर्शायी जाती है।

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कनेक्शन न दिये जाने पर संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं वृत्त के अधीक्षण यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

4. अस्थायी कनेक्श दिये जाने के संबंध में
(औपचारिकता पूर्ण होने की तिथि से)%

(अ) कृषि पम्प एवं अन्य कृषि कार्य हेतु अस्थायी कनेक्शन देने के लिय :–

1. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 1 दिन
2. ग्रामीण संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 5 दिन

(ब) अन्य प्रयोजनों हेतु अस्थायी कनेक्शन दिय जाने के संबंध में :–

1. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 3 दिन
2. ग्रामीण संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 5 दिन

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कनेक्शन न दिये जाने पर संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं वृत्त के अधीक्षण यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

5. मीटर रीडिंग (मीटर वाचन में त्रुटि के संबंध में शिकायत)

मीटर वाचन में त्रुटि के संबंध में शिकायत प्राप्त होने की तिथि से :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 7 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 3 दिन

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा निराकरण न किये जाने की दशा में संभाग के कार्यपालन यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

6. **बिलिंग** :–

रीडिंग के अनुसार दूसरे अथवा तीसरे माह में एक बार रीडिंग के आधार पर/अन्य माहों में निश्चित औसत राशि के आधार पर बिलिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त होने की तिथि सेः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 7 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 5 दिन

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा निराकरण न किये जाने की दशा में संभाग के कार्यपालन यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

7. विद्युत देयक (बिल) विलम्ब से मिलने की शिकायत प्राप्त होने की तिथि से :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 7 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 3 दिन

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा निराकरण न किये जाने की दशा में संभाग के कार्यपालन यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

8. जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये :–

किसी भी जले/खराब ट्रांसफार्मर को उसके अक्रियाशील होने की तिथि से :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 7 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 3 दिन

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कनेक्शन न दिये जाने पर संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं वृत्त के अधीक्षण यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

9. दोषयुक्त मीटर बदलने के संबंध में :–

(स्थापित मीटर बंद/खराब होने की जानकारी प्राप्त होने की तिथि से)

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 2 माह
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 1 माह

संबंधित अधिकारी :–

वितरण केन्द्र में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री। उनके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कनेक्शन न दिये जाने पर संभाग के कार्यपालन यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।

10. फ्यूज ऑफ काल अटैंड करने के संबंध में निर्धारित समय

(संबंधित शिकायत केन्द्र में दर्ज कराये जाने के समय से)

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 2 दिन
2. शहर संभाग क्षेत्रों के लिये – सामान्यतः 4 घंटे

संबंधित अधिकारी :–

प्रभारी कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री शहरी क्षेत्र में 4 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिन की अवधि में दोष निराकरण न होने की दशा में संबधित संभाग के कार्यपालन यंत्री से सम्पर्क किया जा सकता है।